

# न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:- डॉ० अरूण गर्ग  
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 561/2025

नामदेव फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड पता नामदेव हाउस, प्लॉट नम्बर 21, नीर सागर ए, भांकरोटा, जयपुर जरिये ऑथोराइज्ड ऑफीसर विक्रम सिंह

— प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती प्रेमलता पत्नि श्री जगदीश, पता ( 1 ) वार्ड नम्बर 13, अगुना मोहल्ला मुकुन्दगढ ( ग्रामीण ) मुकुन्दगढ, झुंझुनूं ( 2 ) पट्टा नम्बर 59 ( प्लॉट नम्बर 96 ) खसरा नम्बर 548, लीलगरों का मौहल्ला, मुकुन्दगढ, झुंझुनूं।
2. श्री श्याम सेल्स कारपोरेशन जरिये प्रोपराइटर विष्णु कुमार शर्मा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, पता प्लॉट नम्बर 38, हनुमान नगर, ग्राम सरना डूंगर, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, झोटवाडा, जयपुर।
3. श्री विष्णु कुमार शर्मा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, पता ( 1 ) प्लॉट नम्बर 79 ग्रीन सिटी 11, ग्राम डूंगर सरना, बेनाड रोड, झोटवाडा, जयपुर ( 2 ) पट्टा नम्बर 58 ( प्लॉट नम्बर 96ए ) खसरा नम्बर 548, लीलगरों का मौहल्ला, मुकुन्दगढ, झुंझुनूं।
4. श्री कानाराम पुत्र श्री जगदीश प्रसाद, पता वार्ड नम्बर 18, मुकुन्दगढ ( ग्रामीण ) झुंझुनूं।
5. श्री रविन्द्र कुमार चेजारा पुत्र श्री रामकुमार चेजारा, पता वार्ड नम्बर 20, अगुना मोहल्ला, मुकुन्दगढ, झुंझुनूं।

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्वोरिटाइजेशन एक्ट 2002 बाबत ( 1 ) पट्टा नम्बर 58 ( प्लॉट नम्बर 96ए ) खसरा नम्बर 548, लीलगरों का मौहल्ला, मुकुन्दगढ, झुंझुनूं, कुल क्षेत्रफल 286.20 वर्ग गज जिसके उत्तर में प्लॉट नम्बर 96, दक्षिण में प्लॉट नम्बर 97, पूर्व में आम रास्ता व पश्चिम में प्लॉट नम्बर 101 है ( 2 ) पट्टा नम्बर 59 ( प्लॉट नम्बर 96 ) खसरा नम्बर 548, लीलगरों का मौहल्ला, मुकुन्दगढ, झुंझुनूं कुल क्षेत्रफल 497.62 वर्ग गज जिसके उत्तर में प्लॉट नम्बर 97, दक्षिण में प्लॉट नम्बर 96ए, पूर्व में आम रास्ता व पश्चिम में प्लॉट नम्बर 100 है पर स्थित सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलवाये जाने हेतु।

उपस्थित:-

एडवोकेट श्री कंचन सिंह चौधरी- प्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक 02.02.2026

प्रार्थी नामदेव फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी कम्पनी से जरिये ऋण अनुबन्ध संख्या 126880 एवं 126885 से कुल 44,61,055/- रुपये की वित्तीय सुविधा प्राप्त की थी। उक्त ऋण को प्राप्त करने हेतु अप्रार्थीगण द्वारा अपनी सम्पत्ति ( 1 ) पट्टा नम्बर 58 ( प्लॉट नम्बर 96ए ) खसरा नम्बर 548, लीलगरों का मौहल्ला, मुकुन्दगढ, झुंझुनूं, कुल क्षेत्रफल 286.20 वर्ग गज जिसके उत्तर में प्लॉट नम्बर 96, दक्षिण में प्लॉट नम्बर 97, पूर्व में आम रास्ता व पश्चिम में प्लॉट नम्बर 101 है ( 2 ) पट्टा नम्बर 59 ( प्लॉट नम्बर 96 ) खसरा नम्बर 548, लीलगरों का मौहल्ला, मुकुन्दगढ, झुंझुनूं कुल क्षेत्रफल 497.62 वर्ग गज जिसके उत्तर में प्लॉट नम्बर 97, दक्षिण में प्लॉट नम्बर 96ए, पूर्व में आम रास्ता व पश्चिम में प्लॉट नम्बर 100 है पर स्थित को मोरगेज किया गया था। अप्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त वित्तीय सुविधा का ऋण अनुबन्ध पत्र में वर्णित शर्तों के अनुसार भुगतान नहीं किया गया तथा अप्रार्थीगण द्वारा अपनी किश्तों का नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण के उपरोक्त वर्णित खाते को दिनांक 22.08.2025 को विधिनुसार एनपीए घोषित कर दिया गया। प्रार्थी कम्पनी द्वारा उक्त खाते को एनपीए घोषित करने के उपरान्त विधिनुसार अप्रार्थीगण को सिक्वोरिटाइजेशन एक्ट की धारा 13( 2 ) के अन्तर्गत नोटिस दिनांकित 29.08.2025 को प्रेषित कर अप्रार्थीगण से दिनांक 22.08.2025 तक कुल बकाया राशि 55,90,995/- रुपये व भुगतान की तिथि तक की अतिरिक्त बकाया राशि मय ब्याज के मांग की गई। उक्त नोटिस अप्रार्थीगण पर तामिल हो गये। प्रार्थी कम्पनी द्वारा उक्त नोटिस को दो दैनिक अखबारों प्रभात अभिन्नदन व हैडलाईन में दिनांक 11.09.2025 को प्रकाशित भी करवाया गया। इस प्रकार अप्रार्थीगण को उक्त नोटिस की तामिल हो गई तथा तामिल के उपरान्त भी प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी कम्पनी

जिला कलक्टर झुंझुनूं

की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया तथा ना ही उक्त नोटिस के विरुद्ध कोई आपत्ति ली गई। प्रार्थी कम्पनी द्वारा सिक्योरिटाईजेशन एक्ट के अनुसार समस्त कार्यवाही विधिनुसार की गई है तथा उसके उपरान्त भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी कम्पनी की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है। इसलिए प्रार्थी कम्पनी अप्रार्थीगण ( 1 ) पट्टा नम्बर 58 ( प्लाट नम्बर 96ए ) खसरा नम्बर 548, लीलगरों का मौहल्ला, मुकुन्दगढ, झुंझुनू, कुल क्षेत्रफल 286.20 वर्ग गज जिसके उत्तर में प्लाट नम्बर 96, दक्षिण में प्लाट नम्बर 97, पूर्व में आम रास्ता व पश्चिम में प्लाट नम्बर 101 है ( 2 ) पट्टा नम्बर 59 ( प्लाट नम्बर 96 ) खसरा नम्बर 548, लीलगरों का मौहल्ला, मुकुन्दगढ, झुंझुनू, कुल क्षेत्रफल 497.62 वर्ग गज जिसके उत्तर में प्लाट नम्बर 97, दक्षिण में प्लाट नम्बर 96ए, पूर्व में आम रास्ता व पश्चिम में प्लाट नम्बर 100 है का भौतिक कब्जा प्राप्त करने की अधिकारिणी है ताकि प्रार्थी कम्पनी उक्त सम्पत्ति को विधिनुसार नीलाम करके अपनी ऋण राशि को वसूल कर सके। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से नम्र निवेदन है कि प्रार्थी कम्पनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे तथा अपने अधीनस्थ अधिकारी अथवा कमिश्नर को नियुक्त किया जकर प्रार्थना पत्र में वर्णित ( 1 ) पट्टा नम्बर 58 ( प्लाट नम्बर 96ए ) खसरा नम्बर 548, लीलगरों का मौहल्ला, मुकुन्दगढ, झुंझुनू, कुल क्षेत्रफल 286.20 वर्ग गज जिसके उत्तर में प्लाट नम्बर 96, दक्षिण में प्लाट नम्बर 97, पूर्व में आम रास्ता व पश्चिम में प्लाट नम्बर 101 है ( 2 ) पट्टा नम्बर 59 ( प्लाट नम्बर 96 ) खसरा नम्बर 548, लीलगरों का मौहल्ला, मुकुन्दगढ, झुंझुनू, कुल क्षेत्रफल 497.62 वर्ग गज जिसके उत्तर में प्लाट नम्बर 97, दक्षिण में प्लाट नम्बर 96ए, पूर्व में आम रास्ता व पश्चिम में प्लाट नम्बर 100 है का भौतिक कब्जा प्राप्त कर प्रार्थी कम्पनी के ऑथराईज्ड आफिसर को सुपुर्द किये जाने के आदेश प्रदान पारित करने की कृपा एवं यदि उक्त सम्पत्ति बन्द पाई जाती है तो अपने अधीनस्थ अधिकारी/कमिश्नर को आदेशित किया जावे कि उक्त सम्पत्ति के ताले तोडकर उक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त कर प्रार्थी कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी को सुपुर्द किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जानें का निवेदन किया।

हमने प्रार्थी नामदेव फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें हैं व प्रार्थी नामदेव फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 ( 2 ) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी नामदेव फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड की ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी नामदेव फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें हैं। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी नामदेव फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखी गई सम्पत्ति ( 1 ) पट्टा नम्बर 58 ( प्लाट नम्बर 96ए ) खसरा नम्बर 548, लीलगरों का मौहल्ला, मुकुन्दगढ, झुंझुनू, कुल क्षेत्रफल 286.20 वर्ग गज जिसके उत्तर में प्लाट नम्बर 96, दक्षिण में प्लाट नम्बर 97, पूर्व में आम रास्ता व पश्चिम में प्लाट नम्बर 101 है ( 2 ) पट्टा नम्बर 59 ( प्लाट नम्बर 96 ) खसरा नम्बर 548, लीलगरों का मौहल्ला, मुकुन्दगढ, झुंझुनू, कुल क्षेत्रफल 497.62 वर्ग गज जिसके उत्तर में प्लाट नम्बर 97, दक्षिण में प्लाट नम्बर 96ए, पूर्व में आम रास्ता व पश्चिम में प्लाट नम्बर 100 है का पजेशन प्रार्थी नामदेव फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू को प्रेषित कर लेख है कि प्रार्थी नामदेव फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के खर्च पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो एवं बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 02.02.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( डॉ० अरुण गर्ग )  
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू  
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू